

हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आवाजाही सहित दुकाने बंद, घर-घर किया जा रहा है सेनीटाइज, क्षेत्र में ही अस्थाई कैंप बनाकर गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर

भिलाई नगर। जिला प्रशासन द्वारा ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद इस क्षेत्र में आवाजाही की गतिविधियां बंद कर दी गई है रात्रि में यहां पर सघन रूप से फागिंग कराई गई और सुबह से ही सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है साथ ही सभी रास्तों जहां से आवाजाही होने की संभावना है उन सभी मार्गों को बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि क्षेत्र से कोई बाहर ना जाए और बाहर से कोई इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके! सुबह 5:00 बजे से ही यहां पर स्पीकर के माध्यम से घरों से बाहर न निकलने की व मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं करने की सूचना दी जा रही है हाउसिंग बोर्ड के 37 दुकाने व घासीदास नगर के 9 दुकाने खोलने की तैयारी कर रहे थे जिसे बंद कराया गया! कंटेनमेंट जोन में अस्थाई रूप से कैंप ऑफिस खोला गया है जिसके माध्यम से वार्ड क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी! निगम प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टैंकर से गलियों और हैंड स्प्रे से घर-घर हाउसिंग बोर्ड एरिया को सघन रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट घोषित वार्ड 26 का निरीक्षण जोन के अधिकारियों द्वारा किया गया और वार्ड में अस्थायी केम्प आफिस स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

जनसम्पर्क अधिकारी

